

### श्री जवाहरलाल नेहरू

रह जाती हैं और समय के परिवर्तन से उन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हिन्दू विधि में वह शक्तियुक्त परिवर्तनशीलता है। यह संविधि पुस्तक में पाई जाने वाली विधियों के समान नहीं है क्योंकि उन में तो परिवर्तन किसी के करने पर ही हो सकता है। हिन्दू विधि ने सर्वप्रकार की रूढ़ियों को उपजने के लिये प्रोत्साहन दिया। जब वह बन चुकी तो उन्हें अंगीकृत किया। वास्तव में आज भी भारत में हिन्दू विधि के कई रूप विद्यमान हैं। दक्षिण, उत्तर और पूर्व में इसके भिन्न भिन्न रूप हैं यहां तक कि यह कह सकता बहुत कठिन है कि एकमात्र हिन्दू विधि कौन सी है? यह भी सभी जानते हैं कि अधिकांश हिन्दू भिन्न प्रकार की रूढ़ियों का अवलम्बन करते हैं। क्या उन्हें हिन्दू जाति में से निकाल बाहर कर देना चाहिये? कदापि नहीं?

अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब समाज में पूर्ण परिवर्तन आ चुका है तो क्या कोई सामाजिक अथवा आर्थिक विधि पूर्ववत् लागू रह सकती है। आज से एक या दो हजार वर्ष पहले भारत की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या का सौवां भाग थी। उस समय भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में रहती थी। थोड़ी सी संख्या में छोटे नगर भी थे। वर्तमान परिस्थितियां नितान्त भिन्न प्रकार की हैं। देहली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के नगरों में उद्योग बढ़ रहे हैं और नवीन प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध उत्पन्न हो रहे हैं। जब हमारी सामाजिक व्यवस्था में यह सब प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं तो यह कैसे हो सकता है कि किसी अन्य क्षेत्र में कुछ भी परिवर्तन न हो? यदि इस प्रकार का कोई प्रयत्न किया गया तो उसका परिणाम भयानक होगा क्योंकि परिस्थितियों

के अनुकूल न रहने पर वह कड़ी व्यवस्था अथवा विधि टूट कर रह जायगी।

इस विधेयक पर यहां तो केवल कुछ ही दिन चर्चा चली है, किन्तु इस समस्या विशेष के बारे में वर्षों से अनुसन्धान हो रहा है। पहले कई वर्ष तक तो वी० एन० राव समिति काम करती रही। वर्तमान संसद में इस विषय को प्रस्तुत हुये साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं। इसमें पहले भी ऐसे विधेयक लाये जा चुके हैं। कोई भी विषय इतने अधिक समय तक जनता के सम्मुख नहीं रहा है जितना यह और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का पूर्ण अवसर जनता को मिला है। यह विषय है हिन्दू विधि के अधीन व्यक्तिगत सम्बन्धों के बारे में सुधार। राजनीति और अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषय हैं किन्तु अन्ततः मानवीय सम्बन्धों को सब से अधिक महत्व प्राप्त है।

आज मुझे मुझे मालूम हुआ है कि सौराष्ट्र जैसे हमारे छोटे राज्य में मानवीय सम्बन्धों में अवाञ्छनीय गठबन्धनों के कारण आत्महत्या का औसत एक महिला प्रतिदिन है। ४० लाख की जनसंख्या में एक वर्ष में यह संख्या ३७५ थी। इस प्रकार आप उस राज्य में महिलाओं की आत्महत्या का अनुपात निकाल सकते हैं। यह आंकड़े उस राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये अधिकृत आंकड़े हैं। इससे पता लगता है कि किस प्रकार की कठिनाइयों और अवाञ्छनीय गठबन्धनों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि ऐसे ही आंकड़े भारत के अन्य राज्यों से भी इकट्ठे किये जा सकते हैं। महिलाओं को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है।

मैं ने विरोधी दल के सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी का भाषण सुना। उनके भाषण

को सुनकर मैं अधिक उलझन में पड़ गया हूँ और मुझे आश्चर्य भी हुआ है। उन्होंने संस्कार आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से कहा। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमें यह देखना चाहिये कि वास्तव में संस्कार क्या है? इसका मतलब क्या है? संस्कार का धार्मिक महत्व है और वह एक धार्मिक संस्कार है। हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इसमें किसी को सन्देह नहीं। पर क्या इसका मतलब यह है कि यह संस्कार उन लोगों को एक में बांधने के लिये है जो एक दूसरे को घृणा करते हैं और एक दूसरे का जीवन दुःखमय बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि संस्कार का यही मतलब है। स्पष्ट है कि प्रश्न यह नहीं है। मैं और आगे भी बात लूंगा। मैं समझता हूँ कि सभी मानवीय सम्बन्धों में पवित्रता का तत्व अवश्य होना चाहिये। पति-पत्नी जैसे पवित्र सम्बन्ध में तो पवित्रता का तत्व आवश्यक है। मानवीय सम्बन्धों में, यदि वे अच्छे हों तो, परिणाम लाभदायक होता है अन्यथा भयंकर तथा बुरा। यदि पति-पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, यदि उन्हें एक साथ रहने के लिये बाध्य किया जाता है तो वे एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं और उनके जीवन में कटुता पैदा हो जाती है। उनके जीवन के सभी आधारों में कटुता पैदा हो जाती है। निश्चय ही उभे संस्कार नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने मनु और याज्ञवल्क्य, जो भारत के भाग्य विधाता थे, के उद्धरण दिये। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पर क्या श्री एन० सी० चटर्जी या किमी अन्य व्यक्ति द्वारा मनु और याज्ञवल्क्य का नाम लेकर यह दावा कि ऐसी दशा में वह क्या करते, ठीक है? तात्पर्य यह है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में मनु, याज्ञवल्क्य या अन्य किसी द्वारा दिये गये उदाहरणों के अनुसार काम करने की बात कहना अनुचित है। आज

की परिस्थितियाँ निकुल भिन्न हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मानव जीवन के कुछ ऐसे सिद्धान्त होने चाहियें, और हैं भी, जो परिवर्तित नहीं होते और जिन्हें परिवर्तित करना भी नहीं चाहिये। मानव जीवन के कुछ आधार होते हैं। पर उन्हें विधान या अन्य बातों में स्वीकार करने में आप को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना है, न कि १,००० या २,००० वर्ष पूर्व की परिस्थितियों को।

श्री एन० सी० चटर्जी ने हिन्दू विश्व-विद्यालय के एक विद्वान् प्रोफेसर द्वारा निकाली गयी एक पुस्तिका के बारे में कहा। मैं ने उस पुस्तिका को देखा। उसमें उनका नाम नहीं है। मैं उनका नाम नहीं जानता। चूँकि उन्होंने मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया था अतः मैं ने उसे देखा। मुझे आश्चर्य है कि ऐसी पुस्तिका किसी भी विद्वान् या साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं निकाली जानी चाहिये थी। इस पुस्तिका में क्या है? यह अमरीका के किन्से प्रतिवेदन पर आधारित है। उसमें संयुक्त राज्य अमरीका की परिस्थितियों का ज्ञान कराया गया है। सर्वप्रथम, एक प्रोफेसर के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि वह पुस्तिका निकाले, अन्य लोगों या अन्य देशों की प्रथाओं की निन्दा करे। ऐसा करना उनके या हम में से किसी के लिये अच्छा नहीं है। यदि वह वैज्ञानिक अध्ययन है तो ठीक है। वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं। पर उसका उदाहरण देकर यह कहना कि अमरीका की परिस्थितियाँ कितनी भयंकर हैं और यदि आप भी यह विधेयक पारित करेंगे तो आपके यहां की परिस्थितियाँ भी ऐसी ही हो जायेंगी केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से ही अनुचित नहीं बल्कि किसी बात को कहने का गलत ढंग है। हम में से बहुत थोड़े लोग, शायद कोई भी नहीं, अमरीका, रूस या इंग्लैंड या किसी अन्य देश की परि-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्थितियों के बारे में कुछ बता सकते हैं। हम उन देशों के बारे में समाचार पत्रों और पुस्तकों में पढ़ते हैं। पर हम प्रसंग, ऐतिहासिक विकास, तथ्यों तथा अन्य अनेकों कारणों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते। आज मानवीय सम्बन्धों पर सब से अधिक प्रभाव उद्योगीकरण का पड़ता है। इसका विवाह या विवाह-विच्छेद विधि से या अन्य किसी बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध उद्योगीकरण, देश की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था, औद्योगिक केन्द्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न विक्षपिता तथा अन्य बातों से है। इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। उससे भारत की तुलना करना और यह कहना कि यदि यह विधेयक पारित किया जायेगा, तो सभी प्रकार की अनैतिकता, स्वच्छन्दता और भ्रष्टाचार फैल जायेगी, एक प्रोफेसर के लिये अनुचित और संकुचित भावना का द्योतक है।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में मैं अपने में से अधिकांश लोगों की इस आदत के बारे में भी कुछ कहूंगा कि हम दूसरे लोगों, दूसरे देशों, उनकी प्रथाओं, उनके धर्म, उनके आर्थिक सिद्धान्तों तथा अन्य बातों की निन्दा करते हैं और इस बात का अभिमान करते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। यह बुरा तरीका है। मैं इसे एक शिष्ट ढंग नहीं मानता। यह दृष्टिकोण की संकीर्णता है, और इसे अशिष्ट ढंग कहा जा सकता है। ठीक ढंग यह है कि उनका निरीक्षण कीजिये। उनसे शिक्षा प्राप्त कीजिये। वहाँ की बातों से सावधान होइये, गलत बातों को छोड़ कर ठीक बातों को अपनाइये, दूसरे देशों की बातों के सम्बन्ध में शोर मत मचाइये और विशेषतया किसी देश के व्यक्तियों की निन्दा करने के बजाय स्वयं अपनी भावनाओं के बारे में विचार कीजिये ताकि हम उनका सुधार कर सकें।

अपने को शक्तिशाली बनाने का यही ठीक उपाय है।

इस प्रसंग में, मैं आपको भारतीय संस्कृति की वास्तविक आत्मा के सम्बन्ध में २३०० वर्ष पुराने अशोक के शिलालेख संख्या १२ का एक उद्धरण दूंगा। उसमें बताया गया है कि आत्मबल भौतिक धन से अधिक महत्वपूर्ण है। अपने धर्म की रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि आप किसी धर्म की निन्दा इस प्रकार न करें कि किसी के हृदय को वेदना हो।

धर्म शब्द का बहुत महत्व है। यह केवल किसी धर्म की प्रशंसा या निन्दा से ही सम्बन्धित नहीं है, बल्कि जीवनयापन के तरीकों आदि से भी सम्बन्धित है। मैं चाहता हूँ कि अशोक के इस शिलालेख को अधिक से अधिक लोग पढ़ें क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें उस भारतीय पद्धति का वर्णन किया गया है जिसने भारतीय संस्कृति को इतनी शक्ति दी है कि वह आज भी जीवित है और आज भी हमें उससे शक्ति मिलती है। पर आज हम विलकुल विपरीत बातें देखते हैं जैसे दूसरों की निन्दा करना, उनका अपमान करना, अपनी बड़ाई करना, और अपने देश और वर्ग को अच्छा कहना, आदि। अच्छाई स्वयं प्रकाशित होती है उसके लिये किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती।

अतः मैं यह कहूंगा कि हमें दूसरे देशों की निन्दा नहीं करनी चाहिये। हाँ, चर्चा के दौरान जब प्रश्न उठता है तो हम उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं पर किसी देश की जनता, प्रथा, तथा रीति-रिवाजों को बुरा नहीं कहते। हम नहीं जानते कि उन्होंने उन्नति कैसी की। भूतकाल में उनकी क्या परिस्थिति थी। मध्य अफ्रीका के लोगों की तुलना यूरोप या एशिया के लोगों से कैसे

की जा सकती है। वहां भिन्न भिन्न परिस्थितियां थीं। हम कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं। हो सकता है, हम किसी ऐसी बात को पसन्द या नापसन्द करें जो उन्हें भी पसन्द या नापसन्द हो। हमें संसार में विविधता को भी स्वीकार करना होगा। अपने छोटे से भारत में भी बड़ी विविधता है। जितना ही में इधर उधर भ्रमण करता हूँ उतना ही मुझे आश्चर्य होता है और प्रसन्नता होती है कि भारत में इतनी विभिन्नता है। हम तब तक उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि यह विविधता समृद्ध नहीं होती और संगठित नहीं होती। यदि हम अपनी विचारधारा, रहन-सहन की प्रणाली, भोजन-वस्त्र आदि को किसी भिन्न प्रकार के व्यक्ति पर लाद देंगे तो हम अपने संगठित भारत के संगठन को ही नहीं तोड़ेंगे बल्कि हम दूसरों पर अपनी बात लादेंगे। हम अपनी बात को तर्क तथा सद्भावना से दूसरों पर लादना चाहिये। कभी भी बलात् हमें कोई बात नहीं लादनी चाहिये क्योंकि यह एक अनुचित ढंग है और उनके वर्तमान जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है।

अतः मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में से 'प्रथाओं, आदि' को निकाल दिया गया है। प्रथाओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप करना बुरी बात है। एक बार मैं फिर यह बात दोहराता हूँ कि ८० प्रतिशत हिन्दू आज विवाह-विच्छेद प्रथा का लाभ उठाते हैं। क्या आप शेष २० प्रतिशत श्रेष्ठ व्यक्तियों को इसी प्रकार पड़ा रहने देंगे कि वह दूसरों को छोटा समझें। क्या यही लोग मनु और याज्ञवल्क्य की संतान हैं, शेष नहीं? यह प्रजातन्त्रीय पद्धति नहीं है, न यह भारत में संगठित समाज के निर्माण का मार्ग है। यदि हम इस प्रश्न को हिन्दुत्व की संकुचित भावना से देखें तो भी क्या हिन्दुत्व के लिये इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखना उचित है?

हमें प्रायः भारतीय नारीत्व के महान् आदर्शों सती सावित्री की याद दिलाई जाती है। हम सब में से प्रत्येक, सीता, सावित्री तथा भारतीय इतिहास के अन्य नारीरत्नों एवं वीरांगनाओं के इन आदर्शों को प्रतिष्ठा तथा आदर की भावना से देखता है। सीता और सावित्री का उल्लेख नारियों के लिये नारीत्व के महान् आदर्श के रूप में किया जाता है। मुझे याद नहीं आता कि पुरुषों को भी रामचन्द्र तथा सत्यवान बनने की याद दिलाई जाती है। मनुष्य इच्छानुसार व्यवहार कर सकते हैं। उनके सामने कोई उदारहण प्रस्तुत नहीं किया जाता। मैं नहीं जानता कि भारतीय व्यक्ति पूर्ण और अश्रेतर सुधार के अयोग्य समझे जाते हैं। किन्तु ऐसा होना बुरा है। वर्तमान स्थिति में उक्त बातें नहीं चल सकती हैं, भले ही यह प्रजातन्त्रीय स्थिति हो, अथवा आधुनिक जीवन सम्बन्धी परिस्थिति। सामाजिक पूर्ववर्तितताओं तथा तत्सम्बन्धी अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत अथवा समान संख्या वाले विशाल अंश को पृथक् कर तथा उनका एक पृथक् वर्ग बना कर, आप प्रजातन्त्र नहीं चला सकते हैं। वे अवश्य ही इसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे।

मेरा ख्याल है कि कुछ सदस्यों ने उच्च वर्गीय हिन्दू स्त्रियों के सामाजिक जीवन के विषय में अनर्गल बात कही है। निस्सन्देह मैं इस प्रकार की प्रगति का प्रशंसक नहीं हूँ, जैसा कि हम दिल्ली, नई दिल्ली इत्यादि नगरों में देखते हैं। इसका क्या परिणाम होता है? यदि हम ऐसी प्रगति के विरुद्ध हैं तो हम उनमें सुधार एवं परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिये; यह दूसरी बात है। किन्तु इस तर्क का यथार्थ परिणाम क्या होता है, इसका यह तात्पर्य नहीं कि यदि कोई वस्तु उसके अनुरूप नहीं है तो हम ऐसी परिस्थितियों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पैदा करें जिससे कि हिन्दू समाज विश्रंखल हो और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाय ।

यह भी कहा गया है कि यह सब कुछ ठीक है । हम इसका समर्थन करते हैं किन्तु जब तक आप स्त्रियों के लिये उपयुक्त आर्थिक परिस्थिति उत्पन्न नहीं करते तब तक यह ठीक नहीं । तर्क की दृष्टि से यह कहना ठीक है किन्तु इस बात का इन मामलों में लागू करने का अभिप्राय यह है कि आप यह नहीं बल्कि दूसरा कार्य कीजिये । एक काम आप ने किया नहीं कि दूसरा काम करना प्रारम्भ कर दिया । इसका अभिप्राय यह है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । यह बिल्कुल गलत है । कहीं न कहीं तो आपको कार्य प्रारम्भ करना ही पड़ेगा । निःसन्देह, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बुनियदी चीज तो आर्थिक स्थिति अर्थात् आर्थिक अवसरों की समानता है । कुछ सीमा तक इसके पश्चात् प्रस्तुत किया जाने वाला दूसरा विधेयक यह कमी पूरी करेगा । हमें उस मार्ग में भी आगे बढ़ना चाहिये ; किन्तु एक अच्छे अधिनियम का इसलिये रोकना कि, वह परिस्थिति की मांग को पूरा नहीं करता, कोई भी काम न करने के बराबर है ।

सभा को स्मरण होगा कि किस प्रकार पहली संसद् में, तत्कालीन सरकार ने हिन्दू कोड विधेयक नामक सैंकड़ों पृष्ठों का मसौदा प्रस्तुत किया था । हमने उस पर कई प्रकार विचार किया, सभा में उसे पुरःस्थापित किया तथा समितियों को सौंपा । वह इतना विशाल था कि हम उसे कभी निपटान सके वस्तुतः, हमने कभी ठीक प्रकार कार्य को प्रारम्भ ही नहीं किया । यह निश्चय था कि उसे पूरा निपटाने में कई वर्ष लगते—समितियों की बैठक तथा खंडवार विचार पूरा नहीं हो सका । इसलिये यह निश्चय

किया गया कि पृथक् पृथक् विभाग कर लिये जायें तथा प्रत्येक विभाग को पृथक् निपटाया जाय । यह उसका पहिला अंश है । मैं आशा करता हूँ कि इसके पश्चात् दूसरे पर भी विचार कर उसे प्रवर समिति को सौंप दिया जायेगा । मानव जीवन से इसी प्रकार व्यवहार किया जा सकता है । आप भारतीय स्त्रियों की स्थिति का प्रत्येक पहलू एक साथ लेकर उनमें सुधार नहीं कर सकते । अन्य जटिलताओं के साथ एक कठिनाई यह भी है कि समय का झगड़ा उठ खड़ा होता है और आप कई अन्य बातों तथा पक्षों की उपेक्षा करते हैं जिसका वे विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है । इसलिये आपको एक, एक चीज लेनी पड़ती है । अब हम कुछ बातें ले रहे हैं और कुछ बातें बाद में लेंगे ।

भारतीय स्त्रियों के सम्बन्ध में मैं ने कहा कि मैं उनमें दिखाई देने वाली कई प्रवृत्तियों का प्रशंसक नहीं हूँ । उक्त प्रवृत्तियाँ भारतीय स्त्रियों में ही नहीं, प्रत्युत अन्यत्र भी दिखाई देती हैं, किन्तु मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अन्य देशों की स्त्रियों तथा लोगों, जिनके सम्बन्ध में आपको अल्प ज्ञान है, आलोचना न करें । हम लोग बाहर के देशों से हो आये हैं, तथा हममें से कुछ लोग सप्ताहों तथा महीनों तक विदेशों में रहे भी होंगे ; और उन्होंने कुछ सिद्धान्त बना लिये होंगे । क्या आप इसी प्रकार किसी विदेशी का भारत में आकर भारतीय समाज की आलोचना करना पसन्द करेंगे । कभी नहीं । जहाँ वह दो महीनों के लिये यहां आकर ठहरता है और एक पुस्तक लिखता है तो आप उसका विरोध करते हैं क्योंकि उसने उन थोड़ी सी बातों को चुना जो कि उसे नापसन्द थीं और आप पर कीचड़ उछाली । वह इनकी पृष्ठभूमि नहीं जानता, जसा कि मैं ने प्रायः

कहा है। वह बनारस जाता है, अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप से बनारस आता है। यदि मैं बनारस जाता हूँ तो मैं भी वहाँ की कई एक बातें पसन्द नहीं करता हूँ। वहाँ की गलियाँ गंदी हैं, इत्यादि। किन्तु बनारस से मेरे हृदय में भारतीय इतिहास के सहस्रों चित्र, सारनाथ में भगवान् बुद्ध के उपदेश तथा सैंकड़ों अन्य घटनाओं तथा यह कि यह भारतीय संस्कृति तथा विकास का केन्द्र है इत्यादि की उद्भावना होती है। वे लोग भी ठीक कहते हैं यदि वे कहें कि बनारस की गलियाँ गन्दी हैं, मैली कुचैली हैं; इत्यादि। किन्तु वस्तुतः बात इससे गहरी है। हममें से जो लोग विदेश जाते हैं वे इसी जाल में फँस जाते हैं। हम वहाँ कुछ सामाजिक या अन्य प्रकार की गन्दगी देखते हैं तथा सोचते हैं कि यही वहाँ के समाज का आधार है। क्या आप सोचते हैं कि पाश्चात्य देशों की या आपकी अथवा किसी अन्य देश की सभ्यता ऐसी दुर्बल, अनैतिक तथा कलुषित बुनियाद पर निर्मित हुई है? क्या कोई सभ्यता अथवा संस्कृति ऐसे दुर्बल आधार पर टिक सकती है? कदापि नहीं। भले ही वे औपनिवेशिक शक्तियाँ हों, उन्होंने हम पर प्रभुता स्थापित की हो, उन्होंने ऐसा किया भी हो। उन्होंने हमें ऐसी हानि पहुँचाई है; किन्तु वास्तविकता यह है कि उन्होंने पिछले दो सौ तीन सौ अथवा चार सौ वर्षों में एक महान् सभ्यता का जन्म दिया है। आपको उसमें से अच्छाई खोजनी है तथा उसे ग्रहण करना है। हमें अपना भूमि तथा अपने विचारों से अपने को निर्मित करना है; किन्तु साथ ही हमें अन्य देशों से आने वाली विचारधाराओं, दर्शनों तथा विचारों के प्रति भी जानकर रहना है। क्योंकि जिस क्षण हम बाध्य संसार से आँखें मूंद लेते हैं उसी क्षण हम अपने को स्थिर बना लेते हैं; चाहे वह विधि, रूढ़ि अथवा धार्मिक

परम्परा किसी प्रकार की दीवार क्यों न हो। यह मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति को रोकना है तथा यह व्यक्ति, देश तथा जाति के हित के प्रतिकूल है। जीवन के प्रति बुनि-बादी हिन्दू दृष्टिकोण की यह महानता है कि वह कठोर नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे दर्शन में सभ्यता तथा रूढ़िवाद के मार्ग परस्पर विरोधी हैं। यह अच्छा है कि हम इसे स्वीकार करते हैं। इसमें एक सहन-शीलता की भावना है। हम नास्तिक होते हुये भी हिन्दू रह सकते हैं, भले ही यह साधारण अर्थ में धर्म न कहलाता हो। किन्तु कुछ प्रथाओं में कड़ापन आ गया है। कड़ापन इस प्रकार आता है कि जब आप कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना है, अमुक को स्पर्श नहीं करना है, आदि इस कड़ाई से हिन्दू समाज में दुर्बलता तथा खराबियाँ पैदा हो गई हैं। हमें यह कड़ाई दूर करनी है। मुझे हर्ष है कि अस्पृश्यता के सम्बन्ध में हमने कड़ाई दूर कर दी है तथा हम उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम जाति भेद की कड़ाई दूर कर देंगे। इसी सम्बन्ध में यह आवश्यक हो जाता है कि आप न्यायाधीशों की संविधि-विधि अथवा विधि के निर्वचन को, जिससे कि हिन्दू समाज के मानवीय सम्बन्धों में कड़ाई आ गई है, तोड़ दें। इसी-लिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि यह इस कड़ाई को दूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति जिमने इस विधेयक को पढ़ा होगा जानता है कि विवाह-विच्छेद इत्यादि की शर्तें सरल नहीं हैं। वे पर्याप्त कठोर हैं किसी के लिये भी यह कहना कि इससे अनैतिकता का बोलबाला हो जाये, निरापागलपन है। यह नितान्त निराधार बात है।

मैं अन्य देशों की स्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहता। वे भली अथवा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बुरी कुछ भी हो सकती हैं। मैं अन्य देशों के सामाजिक गठन पर निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। विदेशों में यात्रा के कई अवसर आने के कारण यद्यपि मैं यहाँ के कई सदस्यों की अपेक्षा निर्णय करने में सक्षम हूँ। तथापि मैं अपने को इसके लिए सक्षम नहीं समझता हूँ किन्तु मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुये पर्याप्त विश्वास से यह कह सकत हूँ कि भारत के नारीत्व पर मुझे गर्व है। मुझे उनके सौंदर्य लावण्य आकर्षण, लज्जा, विनम्रता, बुद्धि तथा त्यागभावना पर गर्व है; तथा मेरा मत है कि भारत की आत्मा का सच्चा प्रतिनिधित्व स्त्रियाँ करती हैं, न कि पुरुष। इस आधुनिक युग में भी भारत की थोड़ी ही स्त्रियाँ देश के बाहर जाती हैं—वह चाहे किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी कार्य से, अथवा किसी आयोग के साथ। प्रत्येक समय स्त्रियों ने अच्छा कार्य किया। उन्होंने न केवल अच्छा ही कार्य किया, प्रत्युत भारत के नारीत्व का विदेशों पर अच्छा प्रभाव भी डाला।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मुझे आपत्ति है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने इस बात पर आपत्ति की है। उनके प्रश्न पूछने पर उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि जीवन कितना विचित्र, अद्भुत तथा कभी कभी हास्यास्पद भी होता है।

श्री कामत : आप जोर से बोलिये; मैं नहीं सुन पा रहा हूँ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस सभा में भी जीवन के रंगबिरंगे पहलू दिखाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अविवाहित हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कदाचित् इसमें कुछ खराबियाँ पैदा हो जाती हैं।

श्री कामत : विधुरों का क्या हाल है, श्रीमान् जी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : स्त्रियों के बारे में कहने से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि भारत की प्रत्येक स्त्री आदर्श है। ऐसा कहना हास्यास्पद होगा।

श्री कामत : यह ठीक है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उनकी सहमति पर मैं उनका कृतज्ञ हूँ : प्रत्येक व्यक्ति जिसने विदेशों में हमारा प्रतिनिधित्व किया है सदैव ही भारत के लिये श्रेयस्कर सिद्ध नहीं हुआ है। किन्तु प्रत्येक स्त्री चाहे वह आयोगों के साथ गई हो अथवा समिति, इत्यादि के साथ भारत के लिये श्रेयस्कर सिद्ध हुई है। यह मंच है कि थोड़ी ही स्त्रियाँ विदेशों में गई हैं, इसलिये औसत निकालना कठिन है किन्तु फिर भी—मैं भारतीय नारीत्व के प्राचीन आदर्श की बात नहीं कह रहा; मैं उसकी पुरानी पृष्ठभूमि की अवश्य प्रशंसा करता हूँ—मैं आधुनिक भारतीय नारी का प्रशंसक हूँ मुझे उनमें श्रद्धा है। मेरा विचार है कि उनमें चरित्र इत्यादि की ठोस बुनियाद है, किन्तु मैं उन्हें प्रगति के लिये स्वतन्त्रता की अनुमति देने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कितना ही वैध प्रति-बन्ध क्यों न हों, वह समाज को एक निश्चित दिशा में जाने से नहीं रोक सकता है। यदि आप अत्यधिक वैध प्रतिबन्ध लगायेंगे तो सामाजिक ढांचा झुकेगा नहीं, प्रत्युत टूट जायेगा। मैं ने सौराष्ट्र के एक साधारण मामले का उल्लेख किया। बी० एन० राव प्रतिवेदन में ऐसे कई मामले दिये गये हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि आप इस मामले पर गौर करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि विशेषकर उच्चवर्ग की भारतीय स्त्रियों की अवस्था शोचनीय

है, और वैधानिक, आर्थिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से खराब है। यह विधेयक उक्त अवस्था को सुधारने तथा सामाजिक कड़ाई को दूर करने का पहिला प्रयत्न है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूँ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : बहुत शीघ्र ही हम संविधि-पुस्तक में एक ऐसी विधि सम्मिलित करेंगे जो बहुत पहले ही सम्मिलित हो जानी चाहिये थी। यह एक अच्छा विधेयक है और देश के कल्याण के लिये इसकी आवश्यकता है। इस विधेयक पर जिस प्रकार विधि मंत्रालय में मंत्री श्री पाटस्कर ने विचार प्रकट किये हैं, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ। फिर भी, मैं महसूस करता हूँ कि इस विधेयक में विवाह विच्छेद होने पर जीवन-निर्वाह-व्यय देने का दायित्व स्त्रियों पर होने, दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति और बच्चों पर कब्जा आदि सम्बन्धी उपबन्धों में कुछ उपबन्ध किये जा सकते थे। हमें आशा है कि सरकार विधेयक के उन अंगों के सम्बन्ध में, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, देश की लोगों की भावनाओं की ओर ध्यान देगी।

प्राचीन काल में स्मृतिकार और उनके आलोचक मूल लेख के प्रवरण और निर्वचन की न्याययुक्त प्रक्रिया द्वारा विधि में, यदि वे चाहते तो, परिवर्तन कर सकते थे। आज कल न्यायालय हैं परन्तु न्यायालयों को आलोचकों की भांति निर्वचन का वैसा स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है। अतः यदि विधान की प्रगति को गतिरुद्ध नहीं करना है तो विधान मंडल को हस्तक्षेप करना होगा। श्री नन्द लाल शर्मा ने श्रुतियों में निहित अमर सत्यता का सहारा लिया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि वेदों में या और कहीं कोई अनर्थ तथा गलती है तो हमें उस पर पवित्रता के नाम से आवरण नहीं डालना चाहिये। हम अपने समाज में अस्पृश्य लोगों

को 'हरिजनों' और निर्धनों को 'दरिद्रनारायण' के नाम देकर समाज में उनके रहने की लाज को छिपाना चाहते हैं महिलाओं के बारे में भी अनेकों बातें कही गई हैं। हमने स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रकट करने में अपनी सारी योग्यता लगा दी है, परन्तु जहां तक हमारे इतिहास में स्त्रियों की स्थिति का सम्बन्ध है, हमने वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं स्वयं अपनी प्राचीन प्रथाओं को सब से अधिक सम्मान देता हूँ और यह बात मैं ने कई अवसरों पर अपने प्राचीन ग्रन्थों या साहित्य के उद्धरण देकर सिद्ध भी कर दी है। तथापि, मैं जानता हूँ कि हमारे सांस्कृतिक उत्तराधिकार में कुछ ऐसे अंग हैं जो हमें सर्वथा छोड़ने हैं। यह विधेयक इस बात का एक उदाहरण है कि हम प्राचीन बुराइयों को, जो अब नहीं रहनी चाहिये धीरे धीरे कैसे दूर करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि 'सती' प्रथा को समाप्त करने के लिये राम मोहन राय के साथ उनकी बात विरोध करने वाली ने कैसा व्यवहार किया था। हम यह भी जानते हैं कि विधवा विवाह के अधिकार को स्वीकार कराने में, यदि हिन्दू विधवा पुनः विवाह करना चाहे तो, किस प्रकार लड़ना पड़ा था। हमारे हिन्दू महा सभा वाले मित्र यह भूल जाते हैं कि हिन्दू साधुओं में मानवोचित दृढ़ता न होने के लिये असीमित सहनशीलता थी। और यह महान सहनशीलता भारतीय सभ्यता की एक विशेषता है। हम कह सकते हैं कि अनेकों ऐसे प्राचीन उदाहरण हैं जिन से यह सिद्ध होता है कि यदि विवाह के बिना प्रेम करना अवैध है तो बिना प्रेम के विवाह करना भी अनैतिक है। परन्तु हम अपने प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि अनेकों ऐसी घटनायें हुई हैं जिन से यह विदित होता है कि हमारे लोगों के विचार कितने उदार थे। उदाहरणार्थ, विश्व-मित्र और मेनका की कथा है। व्यास का